न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 102/2025

गिरधारी लाल पूर्विया पुत्र स्व.श्री सत्यनारायणपूर्विया उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी ग्राम पंचायतरजवास तहसीललवाण जिला दौसा।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी दौसा

.....अप्रार्थी

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिकासंख्या 14415/2025 गिरधारी लाल पूर्विया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 17.09.2025 की अनुपालना मे।

निर्णय दिनांक 17.12.2025

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14415/2025 गिरधारी लाल पूर्विया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 17.09.2025 मे याचिकाकर्ता (प्रार्थी) श्री गिरधारी लाल पूर्विया पुत्र स्व.श्री सत्यनारायण पूर्विया निवासी ग्राम पंचायत रजवास तहसील लवाण जिला दौसा का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर स्पीकिंग आदेश जारी करने हेतु लिखा गया है।
2. याचिकाकर्ता (प्रार्थी) ने जरिये लीगल नोटिस अवगत करवाया कि दिनांक 11.07.2025 को जिला कलक्टर रसद दौसा द्वारा जिले की विभिन्न तहसीलों मे रिक्त/नवसृजित दुकानों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमे ग्राम पंचायत रजवास पोस कोड 21152 के लिए भी आवेदन आमंत्रित किये गये। ग्राम पंचायत रजवास तहसील लवाण मे रघुनाथ मीना पुत्र कल्याणसहाय मीना को उचित मूल्य दुकान हेतु अधिकृत कर पोस मशीन संख्या 21152 आवंटित की गई। रघुनाथ मीना का प्राधिकार पत्र निरस्त होने के कारण गिरधारीलाल पूर्विया को अस्थाई तौर पर अटैचमेंट कर वितरण व्यवस्था सुचारू की गई। रिक्त अटैच दुकान के लिए केवल 48 राशनकार्ड आवंटित है। विभागीय परिपत्र 07.04.2010 के अनुसार उचित मूल्य दुकानों के नये सर्वे के अनुसार 500 राशनकार्ड पर नवीन दुकानों का सृजन कर रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान है। वर्तमान मे ग्राम पंचायत रजवास तहसील लवाण मे कुल 1012 राशनकार्ड है। जिसमे तीन उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत है। जिसमे 1. गिरधारीलाल पूर्विया–529 कार्ड 2. प्रा.म.ब.स.स. –435 कार्ड , 3. रघुनाथ मीना –48 कार्ड आवंटित है। इसमे से रघुनाथ मीना का प्राधिकार पत्र निरस्त हो चुका है।अतः परिपत्र दिनांक 07.04.20210 के अनुसार 500 राशनकार्ड पर एक दुकान का प्रावधान होना चाहिए वर्तमान मे 1012 राशनकार्ड है। जिसमे 2 उचित मूल्य दुकानदार पूर्व से ही कार्यरत है ऐसी स्थिति मे राशनकार्डो को देखते हुए तीसरी दुकान की नियुक्ति किया जाना उचित नही है। यदि किसी दुकान पर 500 राशनकार्ड से कम हो तो उसकी समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशकार्ड/2000 यूनिट के आधार पर दुकानों का पुनर्निर्धारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किया जावें।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आदेश मे यह अवधारित किया है कि याचिककर्ताअपनी याचिका को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करे जिस पर जिला कलक्टर जस्टिस वाधवा कमेटी की सिफारिश (मुख्यतः पैरा स0 19) का अवलोकन कर आदेश पारित करें।
4. जस्टिश वाधवा कमेटी की पैरा सं0 19 इस प्रकार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

Number of ration cards attached to a shop has a direct bearing on the income of FPS. There should be rationalization of cards for each FPS. There is a need for rationalization of the number of beneficiaries attached to the FPS to make the shops financially viable. Each FPS should have form 500 to 1000 cards.If number of ration cards exceeds 1000, the FPS should be bifurcated.

5- माननीय न्यायालय का आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हुआ किन्तु याचिकताकर्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कियागया है। उनके द्वारा पूर्व में एक लीगल नोटिस दिनांक 10.9.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कियागया था, जिसको आधार मानते हुए उक्त लीगल नोटिस का निस्तारण किया जा रहा है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा वाधवा कमेटी की सिफारिश एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 7.4.2010 की ओर ध्यान आकर्षित कर नवीन दुकान बाबत आवेदन मांगे जाने के संबंध में कथन किया गया है, एवं यदि दुकान पर 500 राशन कार्ड से कम हो तो उसका समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशन कार्ड की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुर्ननिधारण कर रिक्ति जारी करने का कथन किया है। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान सरकार खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 26.12.2019 की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 27.3.2023 की ओर आकर्षित किया गया है जिसके द्वारा 100 या 100 से कम राशन कार्डों की दुकानों का पास की दुकान में मर्ज किये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी का कथन का है कि ग्राम पंचायत रजवास तहसील लवाण जिला दौसा में से 1012 राशन कार्ड जिसमें उनके 529 राशन कार्ड आवंटित है एवं रिक्त अटैच भाग में मात्र 48 राशन कार्ड आवंटित है एवं ग्राम पंचायत रजवास के दूसरे भाग के डीलर पोस मशीन 25802 को 435 राशन कार्ड आवंटित है। अतः ग्राम पंचायत रजवास के रिक्त भाग पोस मशीन 21152 से संबंधित जारी विज्ञप्ति को निरस्त फरमावें एवं नयी उचित मूल्य दुकान की नियुक्ति के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

Web Copy - Not Official

7. उक्त संबंध मे जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा अपने जबाव मे अवगत करवाया कि वर्तमान मे ग्राम पंचायत रजवास तहसील लवाण मे कुल 1032 राशनकार्ड है। जिसमे तीन उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत है। जिसमे 1. गिरधारीलाल पूर्विया–552 राशन कार्ड/2547 यूनिट, 2.पीएमएस रजवास –457राशन कार्ड/2164 यूनिट, 3. रघुनाथ मीना –23 राशन कार्ड/94 यूनिट अधिकृत थे, इसमे से रघुनाथ मीना का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के कारण वर्तमान में रिक्त है एवं रघुनाथ मीना, उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध गबन होने के कारण पुलिस थाना लवाण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। श्री शशि भूषण गुप्ता, एडवोकेट द्वारा लीगल नोटिस कार्यालय में दिनांक 10.9.2025 को प्राप्त हुआ जिसमें खाध विभाग के आदेश दिनांक 27.3.2023 के अनुसार 100 या 100 से कम राशन कार्ड वाली रिक्त दुकानों को पास की दुकानों में मर्जर करने बाबत निर्देशित किया गया है। चूंकि उक्त रिक्त दुकान पर 48 राशन कार्ड है। अतः विज्ञप्ति निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में निवेदन है कि खाध विभाग के उक्त पत्रांक के बिन्दु सं0 5 के अनुसार मर्जर/समावेशन किये जाने वाली उचित मूल्य दुका[illegible]र का वाद/जांच/बकाया का प्रकरण लंबित न हो। उक्त प्रकरण में निरस्त[illegible] मूल्य दुकानदार रघुनाथ मीना पर 0028/2020 एफआईआर पुलिस [illegible] विभागीय परिपत्र दिनांक 7.4. 2010 के अनुसार उचित मूल्य दु[illegible]नुसार 500 राशन कार्ड पर नवीलन दुकानों का सृजन कर रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति [illegible]री करने का प्रावधान है। चूंकि उक्त विज्ञप्ति नवीन दुकान हेतु नहीं निकाली गई है अपितु किसी डीलर के निरस्त होने के कारण रिक्त होने की स्थिति में रिक्तता को भरने हेतु दुकान निकाली गई है उक्त विज्ञप्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Dv

जिला कलेक्टर,दौसा

नवसृजित नहीं रिक्त है। नवसृजित दुकानों हेतु ही खाध सुरक्षा के 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट का प्रावधान है। रघुनाथ मीना, उचित मूल्य दुकानदार के निरस्त होने के कारण रिक्त दुकानों पर ही विज्ञप्ति जारी की गई है नवसृजित नहीं हुई है। अतः विभाग के प्राप्त सूची के अनुसार ही रजवास में ही दुकान खोलने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसकी पालना में उक्त उचित मूल्य दुाकन प्राधिकार पत्र आवंटन हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जा चुका है जिस पर निर्णय हेतु पत्रावली विचाराधीन है।

8. उपरोक्त लीगल नोटिस एवं जिला रसद अधिकारी दौसा के जवाब का अवलोकन कियागया।
9. वाधवा कमेटी पीडीएस में सुधार एवं उसे पारदर्शी बनाये जाने के लिए बनाई गई थी जिसमें पीडीएस में लीकेज रोकने, गरीबों तक खाधान्न पहुँचाना एवं प्रौधोगिकी इस्तेमाल आदि की सिफारिशें की गई थी। कमेटी द्वारा सन 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा महत्वपूर्ण परिपत्र जैसेकि दिनांक 7.4.2010, दिनांक 26.12.2019, दिनांक 27.3.2023 इत्यादि जारी किये गये जो कि इस प्रकरण से भी संबंधित है। उक्त सभी परिपत्रों का हवाला लीगल नोटिस में भी किया गया है।
10. हम जिला रसद अधिकारी दौसा के इस कथन से सहमत है कि नवीन दुकान की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है अपितु पूर्व में ही चल रही दुकान जिसको निरस्त किया गया था की विज्ञप्ति जारी की गई थी। ऐसे में इसे नवीन दुकान की विज्ञप्ति की श्रेणी में कहा जाना उचित नहीं है। जिला रसद अधिकारी दौसा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत रजवास में कुल 1004 राशनकार्ड/ 4697 यूनिट है एवं यदि उक्त राशन कार्ड एवं यूनिट का विभाजन 3 उचित मूल्य दुकानदारों में किया जाता है तो यह संख्या 100 राशन कार्ड से अधिक होगी। यहॉ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि तृतीय दुकान जिसके लिए विज्ञाप्ति जारी की गई है, वह नवीन दुकान न होकर पूर्व में ही संचालित दुकान रही है।
11. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/लीगल नोटिस में उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया जाता है। साथ ही जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते है कि वह तृतीय दुकान के आवंटन पश्चात यह सुनिश्चित करे कि उक्त दुकान में कम से कम 100 राशन कार्ड अवश्य हो एवं उक्त ग्राम पंचायत की अन्य किसी भी दुकान में राशन कार्ड की संख्या 100 से कम न रह जाये। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। आदेश की प्रति श्री लोकेन्द्र सिंह राव, Dy.G C जयपुर को भिजवायी जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्राकित से जारी किया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested